तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
——

उपस्थितः
श्री अभिषेक कौशिक : उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

——

—: आदेश :—

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपर जिला कलेक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 19/2/2003 से प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में रेफरेन्स के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, केकड़ी ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 जिला कलेक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 1358 में साबिक खसरा नम्बर 1274 रकबा 257 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गैर मुमकिन नदी उल्लेखित थी, जिसका भू प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 3671 कायम करते हुए रकबा 0.01 हैक्टेयर बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी धन्ना पुत्र श्री गिरधारी जाति कोली के नाम दर्ज कर दी गई तथा तथा धन्ना के फौत हो जाने पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 520 अप्रार्थीगण घीसी बेवा नाथूलाल वगैरह के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2058 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 3671 रकबा 0.01 हैक्टेयर अप्रार्थीगण घीसी बेवा श्री नाथूलाल जाति कोली वगैरह के नाम दर्ज है, जो अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में तहसीलदार ने निवेदन किया कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः राजकीय गैर मुमकीन नदी दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, अजमेर ने विधि सम्मत् कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 19/2/2003 से अपनी सिफारिश के साथ यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी।

प्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी गैर मुमकीन नदी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जमाबन्दी सम्वत 1358 में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत गैर मुमकीन नदी की भूमि का आंवटन / नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही किसी को खातेदारी / गैर खातेदारी दी जा सकती है। उन्होंने अपनी बहस में यह भी कहा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं0 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2 / 8 / 2004 में ऐसी भूमियों की दिनांक 15 / 8 / 1947 की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया गया है। अन्त में उनका कथन है कि रेफरेन्स स्वीकार कर अप्रार्थीगण घीसी बेवा नाथूलाल जाति कोली वगैरह के नाम बिना किसी विधिक आदेश के दर्ज विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 3671 रकबा 0.01 हैक्टेयर के खातेदारी इन्द्राज निरस्त किये जावें तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि को अप्रार्थीगण घीसी बेवा नाथूलाल जाति कोली वगैरह की खातेदारी से हटाकर पुनः राजकीय गैर मुमकीन नदी राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे। हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। मण्डल द्वारा नियमानुसार अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये हैं। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स एवं दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर की जमाबन्दी सम्वत 1358 में साबिक खसरा नम्बर 1274 रकबा 257 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी किस्म गैर मुमकिन नदी उल्लेखित थी, जिसका भू प्रबन्ध के दौरान नवीन खसरा नम्बर 3671 कायम करते हुए रकबा 0.01 हैक्टेयर बिना किसी विधिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी धन्ना पुत्र श्री गिरधारी जाति कोली के नाम दर्ज कर दी गई तथा तथा धन्ना के फौत हो जाने पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 520 अप्रार्थीगण घीसी बेवा नाथूलाल वगैरह के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2058 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 3671 रकबा 0.01 हैक्टेयर अप्रार्थीगण घीसी बेवा श्री नाथूलाल जाति कोली वगैरह के नाम दर्ज है, जो विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन नदी दर्ज होने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, तालाब, नाडी, तलाई, जलाश्यों आदि की भूमि पर किसी को खातेदारी / गैर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जनहित याचिका सं0 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2 / 8 / 2004 में ऐसी भूमियों की दिनांक 15 / 8 / 1947 की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया गया है। हमारी सुविचारित राय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में एवं उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अप्रार्थीगण घीसी बेवा नाथूलाल जाति कोली वगैरह के नाम दर्ज विवादित भूमि के इन्द्राजात को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी घीसी बेवा नाथूलाल जाति कोली वगैरह के पक्ष में किये गये समस्त राजस्व इन्द्राजों को हटाने एवं ग्राम बघेरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर स्थित विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 3671 रकबा 0.01 हैक्टेयर को पूर्वानुसार बिला नाम गैर मुमकिन नदी दर्ज करने के आदेश तहसीलदार, केकड़ी को प्रदान किये जाते है। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। आदेश सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए